रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2817] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 2817] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/ AGRAHAYANA 9, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3596(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1450 (अ) तारीख 1 जून, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

पाखल वन्यजीव अभयारण्य 17°42.5' और 18°10' उत्तर अक्षांश तथा 79°55' और 80°10' पूर्व देशांतर के बीच में अवस्थित है और जो मुख्यत: तेलंगाना के वारंगल (दक्षिण) प्रभाग और वारंगल (उत्तर) प्रभाग के भीतर आता है और यह क्रमश: इटरनगरम वन्यजीव अभयारण्य और किन्नरासनी वन्यजीव अभयारण्य (खम्म जिले) ये पन्द्रह और तीस किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ;

और, तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के प्राचीनतम अभयारण्यों में से पाखल वन्यजीव अभयारण्य एक है, अभयारण्य का नामकरण पाखल झील (नमभूमि), के नाम पर किया गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए सिंचाई का

स्त्रोत है और ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति से भी भरपूर है, इसका सन्निर्माण 1323 ई. के दौरान काकातिय राजवंश का राजा प्रताप रुद्र द्वारा कराया गया था ;

और, पाखल वन्यजीव अभयारण्य '6बी' जैव-भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात् डिकैन प्रायद्वीप (6) के प्रमुख पठार में आता है और गोदावरी घाटी के वन के विस्तृत भू-भाग का एक भाग भी है, जो उसके उत्तर पूर्व में इटरनगरम वन्यजीव अभयारण्य और उस अभयारण्य के दक्षिण पूर्व में किन्नेरासानी वन्यजीव अभयारण्य में समाहित है;

और, उस अभयारण्य में सामान्यत: *टर्मिनेलीय टोमेनटोसा, एनोजेइसस लेटीफोलिया, बोस्वेलिया सेरैटा, डायस्पायरस मेकैयनोक्साइलेगन, स्टरक्यूलीया यूरेन्स, मधुका इंडिका, डैलबेरजिया पैंटिकुलेटा, ओडिना वोडियर, जैलिया डोबैब्रिफोरमिस, क्लोरोक्जाइलोन स्वाटेनिया, लेजरस्ट्रोमिया पैरवीफ्लोरा, क्लेक्टैनथस कोलिनस, सोयमिडा फेब्रीफ्यूगा, टेरमिनैलिया बैवेरिका, टर्मिनैलिया चेब्यूबा, अकेशीया सुबद्रा*, अभयारण्य के चिंटागुडा खण्डों में विशेष रुप से विस्तृत बैम्बू ब्रैक्स जिसमें *डेंड्रोकैलेमस एट्रीक्टस* और *बैम्बुसा उरण्डीनैसी* भी है ;

और, पाखल वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के संकटापन्न प्रजातियाँ, जैसे बाघ (पैंथरा टिगरिस), भारतीय गौर, तेंदुआ (पेंथरा पारडस), तेंदुआ बिल्ली (परीयोनीलरस बैंगलेनसिस), रीछ (मेलोसस यूरिसिनस), लकड़बग्घा (हायना हायना), जंगली कुत्ता (काउन अल्पाइनस), भेड़िया (कैनिस लपस पल्लिपेस), सियार (कैनिस औरेस), लोमड़ी (वुल्पेस बैंगलेनसिस), सांभर (रुसा यूनिकलर), चीतल (एक्सिस एक्सिस), चौसिंघा हिरन (टेटरासिरस क्वाडरीकॉरनिस), चिंकारा, नीलगाय (बोसलेफस ट्रागोकेमलस), अजगर (पायथन मॉलूरस), विशाल गिलहरी (पैटाओरिस्टा फिलीप्पैंसिस) और उड़ने वाली गिलहरी शरण लिए हुए है ;

और, पाखल वन्यजीव अभयारण्य दो जल निकास पद्धतियों के लिए जलागमन का भाग बनाता है, एक जल निकास पद्धति लखनावारम झील से होकर गोदावरी नदी में मिलता है और दूसरा पाखल झील और पाखल नदी (खम्माम जिले की मुन्नेरु नदी) से होते हुए कृष्णा नदी में मिलता है ;

और, अब इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पाखल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितक संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2), के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में पाखल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 (पारिस्थितिक संवेदी जोन शून्य पाखल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ उत्तर-पूर्वी छोर जो इटरनगरम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के समीप की ओर है) से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, पाखल वन्यजीव अभयारण्य 'पारिस्थितिक संवेदी जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित है, अर्थात्:

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन तेलंगाना के वारंगल जिले में 965.71 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और जिसके अंतर्गत वारंगल जिले में 11 मंडल अर्थात् मुलुगू, नेलाबेल्ली, नरसंपत, कानापुर, गुदूर, कोयागुडा, चेन्नारावपेट, महबुबाद, केसमुदरम, गोबिंदरावपेट, तडवई के 108 ग्राम सम्मिलित है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पाखल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य किलोमीटर से दस किलोमीटर तक के क्षेत्र में है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है ।

(4) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** के रुप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों से आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तैयार कि जायेगी और पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(2) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समेकित करने के लिए संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के निम्नलिखित सभी परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) कृषि ;
(vi) नगरपालिका ;
(vii) राजस्व ;
(viii) लोक निर्माण विभाग;
(ix) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
(x) जल संसाधन ;
(xi) सिंचाई;
(xii) बागवानी ; और
(xiii) पंचायती राज, ग्रामीण विकास ।

(3) आंचलिक महायोजना सभी प्रस्तावित ग्राम बस्तियों, शहरी बस्तियों, विद्यमान पूजा स्थलों, मनोरंजन महत्त्व सहित सांस्कृतिक महत्त्व के क्षेत्रों ,वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और ऐसे क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से नक्शे के साथ आंचलिक महायोजना में निर्धारित किया जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलाप में अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल कारक होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

IndiaCode

(7) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के प्रावधानों के जरिये कार्यों की मानीटरी के जाने के लिए मानीटरी समिति को एक संदर्भ में दस्तावेज तैयार करना होगा।

(8) यह आवश्यक समझा जाता है कि, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों को निर्दिष्ट करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के लिए प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि के रूपांतरण के स्वाभाविक विकास के कारण मानीटरी समिति की सिफारिश पर अनुमति दी जा सकती है और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, केवल स्थानीय उत्पन्न होने वाले निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए की मौजूदा स्थानीय आबादी और इकाई संख्या 9,10,16,29 और 32 में सूचीबद्ध गतिविधियों सहित, वर्षा जल संचय, कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं, विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना ,प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग आवासीय जरूरतों, स्तंभ के रूप में निर्दिष्ट (2) पैरा 3 में सारणी की:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन /पारिस्थितिक पर्यटन.-**

(क) सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियों या पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर मौजूदा पर्यटन गतिविधियों की विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में करेगा।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे । परंतु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** —पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** —पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** — ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ.

1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(v) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय यातायात**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक ईकाइयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(13) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण-

क. आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां कोई निर्माण की अनुमति दी जाएगी ।

ख. कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर कोई निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

(14). अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची —पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों तथा उनके तहत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदानों और उनको तोड़ने की इकाइयां गृहों के संनिमार्ण या मरम्मत के लिए पृथ्वी की खुदाई या देशी टाइलों के विनिमार्ण या व्यैक्तिक उपायों के लिए आवासन के लिए ईंटों के संदर्भ में वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिसिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे।
2.	नए उद्योगों के कारण प्रदूषण (जल, वायु, मिट्टी, शोर, आदि) की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। ग्रीन या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित सीपीसीबी वर्गीकरण में के रूप में वर्गीकृत उद्योगों, नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों का भूमि क्षेत्रों में अनुपचारित बहिस्रार्व का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	कंपनियों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	निषिद्ध स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए छोड़कर लागू कानूनों के अनुसार (के रूप में अन्यथा प्रदान को छोड़कर)।
7.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं :

		परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग A	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	कानूनों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध शमन उपायों को दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय लागू किए गए अनुसार किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ाना और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा लाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू कानून के तहत अनुमति दी जाएगी।
21.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
22.	सतह और भूमिगत जल की निकासी के वाणिज्यिक।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	ओपन कुएं, कुएं आदि बोर कृषि या अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और गतिविधि सख्ती से उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निगरानी की जानी चाहिए।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
35.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
36.	उद्धार भूमि / वन / आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
37.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया उपधारा के तहत इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की निम्नलिखित अर्थात् 1986 शामिल हैं: -

क. मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार - अध्यक्ष ;

ख. मुख्य मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगाना सरकार - सदस्य;

ग. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि - सदस्य;

घ. शहरी विकास विभाग, सचिव या उनके प्रतिनिधि, तेलंगाना सरकार	- सदस्य;
ङ. पर्यावरण विभाग, सचिव, तेलंगाना सरकार	- सदस्य;
च. वन विभाग, सचिव, तेलंगाना सरकार	- सदस्य;
छ. कृषि विभाग, सचिव या उनके प्रतिनिधि, तेलंगाना सरकार	- सदस्य;
ज. ग्रामीण विकास विभाग, सचिव या उनके प्रतिनिधि, तेलंगाना सरकार	- सदस्य;
झ. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	– सदस्य ;
ञ. प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य;
ट. तेलंगाना सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक विशेषज्ञ –	सदस्य ;
ठ. संबंधित जिला कलेक्टर पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र	– सदस्य ;
ड. सदस्य सचिव/राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
ढ. प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी)	-सदस्य;
ण. पर्यावरण विभाग, निदेशक	सदस्य-सचिव ।

IndiaCode

6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबधित उप संरक्षक वन /उद्यान और अभयारण्य, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/14/2014-आर ई/ई एस जेड]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध I

पाखल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन :

- स्थल सं. 01 से 28 तक पूर्व दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा है और यह क्षेत्र वारंगलें जिला के दक्षिण प्रभाग में आता है ।
- स्थल सं. 29 से 36 दक्षिण-पूर्व दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा है और यह क्षेत्र वारंगल जिला के दक्षिण प्रभाग में आता है ।
- स्थल सं. 49 से. 60 तक वारंगल जिला के दक्षिण दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा है ।
- स्थल सं. 61 से 102 तक वारंगल जिला के अभयारण्य के लिए दक्षिण दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा है ।
- स्थल सं. 103 से 110 तक वारंगल जिला के अभयारण्य के लिए उत्तर-पूर्व दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा है ।
- स्थल सं. 111 से 130 तक वारंगल जिला के अभयारण्य के लिए उत्तर दिशा में पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा है ।

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम

क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	ग्राम के नाम
1	वारंगल	गोंविदरावपीठ	1	बुस्सापुर
			2	कोठागादा

क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	ग्राम के नाम
2	वारंगल	मुलुगु	3	अनामपल्ली
			4	देवगिरीपटनम
			5	एदलाबोदु
			6	सारनगपल्ली
			7	पंचोटलापल्ली
			8	गंतूरपल्ली
			9	रायानीगुडा
			10	चिन्तलापल्ली
			11	पुलीगुंदम
			12	चिंताकुन्तापल्ली
			13	अनकन्नागुदेम
			14	पाथीपल्ली
			15	जगन्नागुदेम
			16	कोथुरु
			17	पेगदपल्ली
			18	दब्बागुदेम
			19	सरवापुर
			20	रामचंद्रपुरम
			21	लालागुदेम
			22	पोटलापुर
			23	सुबरारेड्डीपल्ली
			24	मुद्दुनुरपल्ली
			25	कोदीशालकुन्दी
			26	चंद्रुथन्दा
			27	रहीमनगर
			28	मनसिंग थन्दा
			29	यापलागद्दा
3	वारंगल	नाल्लाबेल्ली	30	मुदुचेक्कलापल्ली
			31	येराया थन्दा
			32	गोंविदापुर
			33	लक्ष्मी थन्दा
			34	मेदापल्ली

IndiaCode

क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	ग्राम के नाम
			35	गोल्लापल्ली
			36	रुद्रागुदेम
			37	बुचीरेड्डीपल्ली
			38	शमशाबाद
			39	पदमापुरम
			40	कानारावपीठ
			41	येदनाग्राम
			42	नगराजुपल्ली
			43	ममिदि वीराइहपल्ली
			44	गांधीनगरम
			45	गुंदलापाद
			46	पेदाथन्दा
			47	नरकापीठ
4	वारंगल	नरसामपीठ	48	इतिकालापल्ली
			49	मदनपीठ
			50	कमलापुरम
5	वारंगल	कानापुर	51	अशोकनगर
			52	कानापुर
			53	कोट्टूर
			54	बुदरावपीठ
			55	मंगलावारीपीठ
			56	अइनापल्ली
			57	धरमारावपीठ
			58	पपयापीठ
6	वारंगल	गुदुर	59	अयोध्यापुर
			60	नाइकपल्ली
			61	मरीमित्ता
			62	चंद्रागुदेम
			63	पोनुगोदु
			64	गुदुर
			65	लक्ष्मीगुदेम
			66	इपुर गाडा

IndiaCode

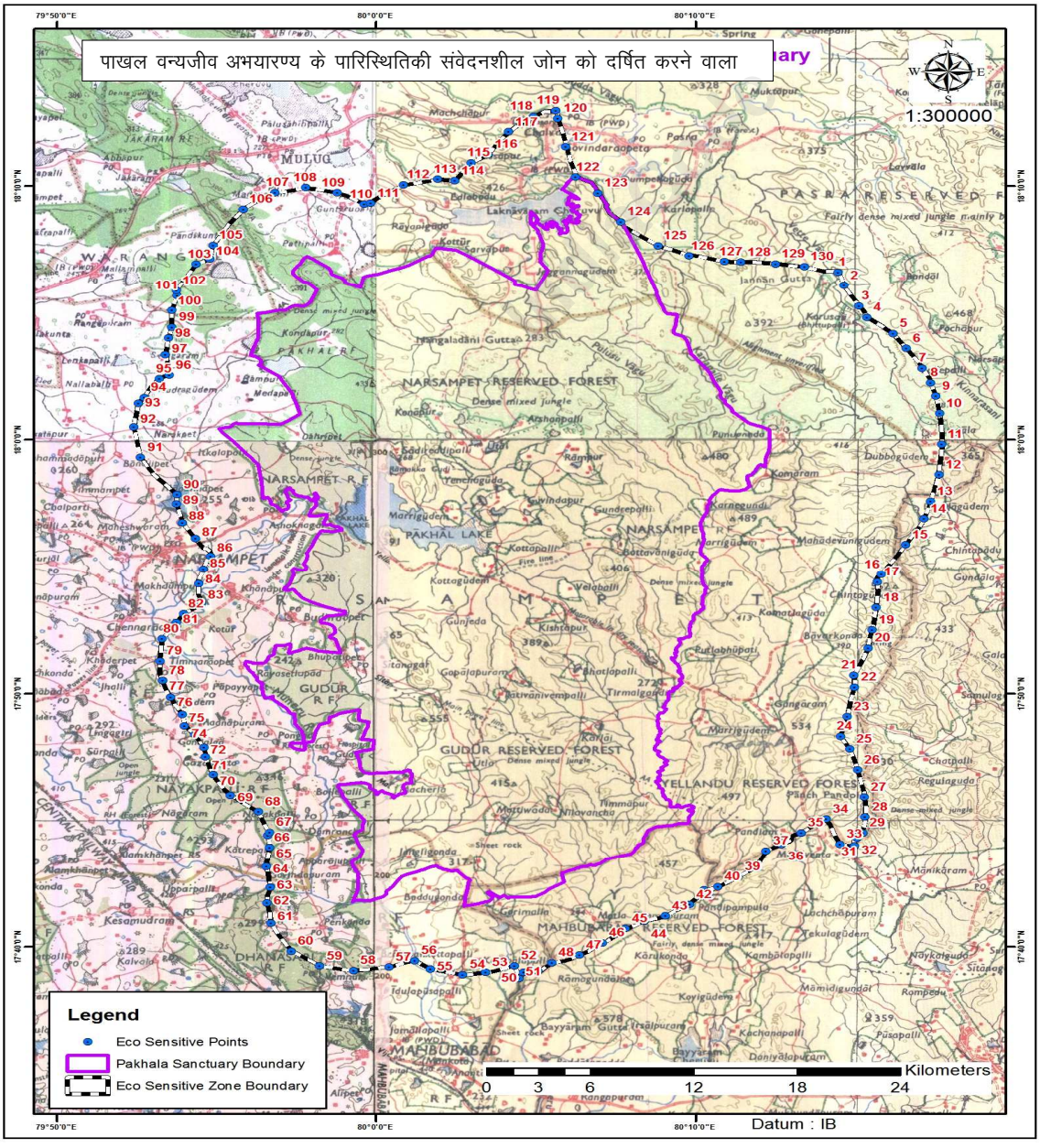
क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	ग्राम के नाम
			67	दुब्बागुदेम
			68	बोल्लेपल्ली
			69	दामरावंछा
			70	जंगु थन्दा
			71	गोंविदपुरम
			72	अप्पराजपल्ली
			73	गजुलागट्टू
			74	लक्ष्मीपुरम
			75	बेद्दुगोंडा
			76	कोल्लापुरम
			77	मलन्नागुदेम
7	वारंगल	कोठागुदा	78	पुतलाबुपाठी
			79	कामाराम
			80	पोनुगोंदला
			81	दुब्बागुदेम
			82	जंगालपल्ली
			83	गंगाराम
			84	महादेवनीगुदेम
			85	चिंतागुदेम
			86	बयुरगोंडा
			87	गंगाराम
			88	पनदेम
			89	रामरापादु
			90	मनिदिगुदेम
			91	गुरिजालामोट्टु
8	वारंगल	तदवाइ	92	लिंगाला
9	वारंगल	चेन्नारावपीठ	93	तिम्मराइपीठ
			94	बोचेरुयु
			95	जिल्लेल्लागुदेम
			96	संदरालागुदेम
			97	कोमुगूदम
			98	लक्ष्मीपुरम

IndiaCode

क्र. सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	क्र. सं.	ग्राम के नाम
			99	जंगिलिगोंडा
			100	कोथुर
10	वारंगल	केसामुदरम	101	नरसिमहुलागुदेम
			102	पेनुकोंडा
			103	बेरिवाडा
			104	तीगालावेनि

उपाबंध III

पाखल वन्यजीव अभायारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



उपाबंध III

आई डी	देशांतर	अक्षांश	आई डी	देशांतर	अक्षांश	आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	80.24124	18.10985	55	80.02838	17.65190	97	79.89000	18.05548
2	80.24424	18.10102	56	80.02008	17.65746	98	79.89158	18.06634
3	80.25219	18.08743	57	80.00684	17.65323	99	79.89353	18.07340
4	80.25625	18.08002	58	79.98831	17.65093	100	79.89335	18.08470
5	80.26984	18.06925	59	79.97066	17.65393	101	79.89617	18.09440
6	80.27672	18.05963	60	79.95583	17.66364	102	79.89582	18.09767
7	80.28519	18.04675	61	79.94524	17.68217	103	79.90623	18.11514
8	80.28961	18.03704	62	79.94312	17.69532	104	79.91312	18.11867
9	80.29208	18.02830	63	79.94489	17.70574	105	79.91488	18.12750
10	80.29420	18.01701	64	79.94277	17.71950	106	79.93077	18.15124
11	80.29525	17.99680	65	79.94454	17.73212	107	79.94736	18.16218
12	80.29384	17.97703	66	79.94348	17.73989	108	79.96342	18.16536
13	80.28943	17.95946	67	79.94436	17.74219	109	79.97984	18.16201
14	80.28590	17.94817	68	79.93854	17.75560	110	79.99378	18.15442
15	80.27637	17.93114	69	79.92406	17.76646	111	79.99714	18.15512
16	80.26366	17.91154	70	79.91488	17.78005	112	80.01443	18.16730
17	80.26172	17.90651	71	79.91082	17.79170	113	80.03208	18.17092
18	80.26119	17.88957	72	79.91012	17.79779	114	80.04109	18.16986
19	80.25889	17.87492	73	79.90553	17.80626	115	80.04956	18.18169
20	80.25695	17.86309	74	79.90006	17.81191	116	80.05856	18.18716
21	80.24936	17.84527	75	79.89900	17.81950	117	80.06933	18.20207
22	80.24972	17.83732	76	79.89264	17.83079	118	80.08221	18.21213
23	80.24601	17.81808	77	79.88858	17.84165	119	80.09386	18.21602
24	80.24248	17.80511	78	79.88858	17.84165	120	80.09492	18.21090
25	80.24742	17.79681	79	79.88717	17.85453	121	80.09898	18.19219
26	80.25148	17.78314	80	79.88841	17.86901	122	80.10427	18.17224
27	80.25483	17.76522	81	79.89582	17.87968	123	80.11275	18.15953
28	80.25536	17.75225	82	79.89970	17.88551	124	80.12546	18.14197
29	80.25413	17.74183	83	79.90888	17.89222	125	80.14734	18.12732
30	80.25148	17.74148	84	79.90747	17.90545	126	80.16323	18.12062
31	80.25095	17.73830	85	79.90976	17.91507	127	80.18176	18.11673
32	80.24989	17.73318	86	79.91347	17.92372	128	80.19059	18.11638

33	80.24213	17.73424	87	79.90571	17.93520	129	80.20859	18.11532
34	80.23489	17.75083	88	79.89900	17.94543	130	80.22359	18.11355
35	80.22200	17.74183	89	79.89582	17.95788			
36	80.21177	17.73407	90	79.89600	17.96405			
49	80.08451	17.65049	91	79.87711	17.98832			
50	80.07709	17.64978	92	79.87340	18.00809			
51	80.07462	17.64590	93	79.87588	18.02380			
52	80.07233	17.65402	94	79.87888	18.02760			
53	80.05715	17.64978	95	79.88682	18.03978			
54	80.04532	17.64820	96	79.89194	18.04225			

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3596(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1450(E), dated the 1st June 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government.

WHEREAS, the Pakhal Wildlife Sanctuary is located between latitude 17° 42.5' and 18° 10' North and between longitude 79° 55' and 80° 10' East and mostly falls within Warangal (South) Division and Warangal (North) Division in the State of Telangana and it is located at a distance of fifteen and thirty kilometers from the Eturnagaram Wildlife Sanctuary and Kinnerasani Wildlife Sanctuary (Khammam Dist.) respectively;

AND WHEREAS, the Pakhal Wildlife Sanctuary is one of the oldest wildlife sanctuaries in the erstwhile State of united Andhra Pradesh and the Sanctuary is named after the Pakhal lake (wetland), which is the source of irrigation for local people and also has rich historical heritage as it was constructed by King Pratapa Rudra of Kakatiya Dynasty during 1323 AD;

AND WHEREAS, the Pakhal Wildlife Sanctuary falls in the '6B' Bio-geographical region i.e., Central plateau of Deccan peninsula (6) and is also a part of the large tract of the Godavari valley forests which comprise of the Eturnagaram Wildlife Sanctuary in its North East and Kinnerasani Wildlife Sanctuary in the South-East of the Sanctuary;

AND WHEREAS, the plant species commonly found in the Sanctuary are: *Terminalia tomentosa, Anogeissus latifolia, Boswellia serrata, Diospyros melanoxylon, Sterculia urens, Maduca indica, Dalbergia panticulata, Odina wodier, Xylia dolabriformis, Chloroxylon swietenia, Lagerstromia parviflora, Cleistanthus collinus, Soymida febrifuga, Terminalia ballerica, Terminalia chebula, Acacia subdra,* extensive bamboo brakes consisting of *Dendrocalamus strictus* and *Bambusa arundinacea* also occur in the Sanctuary especially in Chintaguda blocks;

AND WHEREAS, the Pakhal Wildlife Sanctuary harbours many endangered species such as the Tiger (Panthera tigris), Indian Gaur, Leopard (*Panthera pardus)*, Leopard cat (*Prionailurus bengalensis)*, Sloth Bear (*Melursus ursinus)*, Hyeana (*Hyaena hyaena)*, Wild Dog (*Cuon alpines)*, Wolf (*Canis lupus pallipes)*, Jackal (*Canis aureus)*, Fox (*Vulpes bengalensis)*, Sambar (*Rusa unicolor)*, Cheetal (*Axis axis*), Four-horned Antelope (*Tetracerus quadricornis)*, Chinkara, Nilgai (*Boselaphus tragocamelus)*, Python (*Python molurus)*, Giant Squirrel (*Petaurista philippensis)*, and Flying Squirrel;

AND WHEREAS, the Pakhal Wildlife Sanctuary forms part of the catchment for two drainage systems, one drainage system joins River Godavari through Lakhnavaram lake and the other joins River Krishna through the Pakhal Lake and the River Pakhal (River Munneru in Khammam district) and adjoins the boundary of the Etrunagaram Wildlife Sanctuary along North-Eastern boundary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area from zero (the Eco-sensitive Zone is zero towards the North-Eastern end along the boundary of the Pakhal Wildlife Sanctuary which adjoins the boundary of the Etrunagaram Wildlife Sanctuary) to 10 kilometres from the boundary of the Pakhal Wildlife Sanctuary in the State of Telangana as Pakhal Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter called as a Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 965.71 square kilometres in Warangal District of the State of Telangana and includes 108 villages of 11 Mandals viz. Mulugu, Nallabelly, Narsampet, Kanapur, Gudur, Kothaguda, Chennaraopet, Mahabubad, Kesamudram, Govindaraopet, Tadvai in Warangal District.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone ranges from zero kilometer to ten kilometers from the boundary of the Pakhal Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended with this notification as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) For the purpose of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment and Forest and Climate Change and the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned Local Self Governments and the concerned State Departments such as:

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Agriculture;

(vi) Municipal;

(vii) Revenue;

(viii) Public Works Department;

(ix) Andhra Pradesh State Pollution Control Board;

(x) Water Resources;

(xi) Irrigation;

(xii) Horticulture;

(xiii) Panchayati Raj, Rural Development;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The Zonal Master Plan shall *inter alia* demarcate all the existing and proposed village settlements, urban settlements, worshipping places, areas of cultural value including recreational value, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall regulate the development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carryings out its functions of monitoring vide provisions of this notification.

(8) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification

3. Measures to be taken by the State Government.-

(1) **Landuse.-** Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population and including the activities listed at item numbers 9,10,16,29 and 32, relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans, etc. and small scale industries not causing pollution, widening of roads and construction activity for residential needs, civic amenities and infrastructure respectively, as specified in column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the

time being in force including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural Springs.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such area

(3) Tourism/Eco-tourism.-

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within one k.m. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of one k.m. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

IndiaCode

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with

(7) Air Pollution.- Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone as per the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) shall be complied with.

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and rules made thereunder.

(9) Solid Wastes.- Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time.

(ii) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(iii) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture.

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(v) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.- The Bio-Medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(11) Vehicular Traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units.- On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within Eco-sensitive Zone vide Central Pollution Board's categorisation.

(13) Protection of Hill Slopes.-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(14). The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. Activities to be prohibited, regulated and Promoted within the Eco-sensitive Zone.- (1) All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in accordance with tabular column given below:

IndiaCode

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall

IndiaCode

		be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. The Monitoring Committee for monitoring the Eco-sensitive Zone Notification of Pakhal Wildlife Sanctuary-

(1) The Central Government hereby constitutes the Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification comprising of the following, namely:-

(a) Chief Secretary, Government of Telangana – Chairman;

(b) Chief Wildlife Warden, Government of Telangana– Member

(c) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Member;

(d) Secretary, Department of Urban Development, Government of Telangana or his representative – Member;

(e) Secretary, Environment Department, Government of Telangana – Member;

(f) Secretary, Forest Department, Government of Telangana – Member;

(g) Secretary, Agriculture Department, Government of Telangana or his representative – Member;

(h) Secretary, Rural Development Department, Government of Telangana or his representative – Member;

(i) A representative of Non-governmental Organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Telangana (for a term of one year) – Member;

(j) Representative of State Pollution Control Board – Member;

(k) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Telangana - Member;

(l) Concerned District Collector dealing with the Eco-sensitive Zone – Member;

(m) Member Secretary/Member of State Biodiversity Board, Member;

(n) Divisional Forest Officer (in charge of Protected Area) – Member;

(o) Director, Department of Environment – Member Secretary.

6. Terms of Reference

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Forest Officers shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

IndiaCode

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F. No. 25/14/2014-RE/ESZ]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-sensitive Zone of Pakhal Wildlife Sanctuary:

- From Station No. 01 to 28 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the east direction, and the area falls in South Division of Warangal District.
- From Station No. 29 to 36 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the Southeast direction, and the area falls in South Division of Warangal District.
- From Station No. 49 to 60 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the South Direction of Warangal District.
- From Station No. 61 to 102 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the west direction for the sanctuary of the Warangal District.
- From Station No. 103 to 110 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the Northwest Direction for the sanctuary of the Warangal District.
- From Station No. 111 to 130 is the boundary of the Eco-sensitive Zone in the North direction for the sanctuary of the Warangal District.

IndiaCode

Annexure II

List of Villages falling within the Proposed Eco-Sensitive Zone

Sl.No.	Name of the District	Name of the Mandal	Sl. No.	Name of the Village
1.	Warangal	Govindaraopet	1.	Bussapur
			2.	Kothagadda
2.	Warangal	Mulugu	3.	Anampally
			4.	Devagiripatnam
			5.	Edlabodu
			6.	Sarangapally
			7.	Panchotlapally
			8.	Gunturpally
			9.	Rayaniguda
			10.	Chintalapally

			11.	Puligundam
			12.	Chinthakuntapally
			13.	Ankannagudem
			14.	Pathiipally
			15.	Jaggannagudem
			16.	Kothuru
			17.	Pegadapally
			18.	Dubbagudem
			19.	Sarwapur
			20.	Ramchandrapuram
			21.	Lalagudem
			22.	Potlapur
			23.	Subbareddypally
			24.	Muddunurpally
			25.	Kodishalkunta
			26.	Chandruthanda
			27.	Rahimnagar
			28.	Mansingh Thanda
			29.	Yepaladadda
3.	Warangal	Nallabelli	30.	Muduchekkallapally
			31.	Yerraya Thanda
			32.	Govindapur
			33.	Laxmi thanda
			34.	Medapally
			35.	Gollapally
			36.	Rudragudem
			37.	Buchireddipally
			38.	Shamshabad
			39.	Padmapuram
			40.	Kanaraopet
			41.	Yedanagaram
			42.	Nagarajupally
			43.	Mamidi Veeraiahpally
			44.	Gandhinagaram
			45.	Gundlapad
			46.	Peddathanda
			47.	Narakkapet
4.	Warangal	Narsampet	48.	Itikalapally
			49.	Madannapet
			50.	Kamalapuram
5.	Warangal	Khanapur	51.	Ashoknagar
			52.	Khanapur
			53.	Kottur
			54.	Bhudaraopet
			55.	Mangalavaripet
			56.	Ainapally
			57.	Dharmaraopet
			58.	Papayyapet
6.	Warangal	Gudur	59.	Ayodyapur
			60.	Naikpally

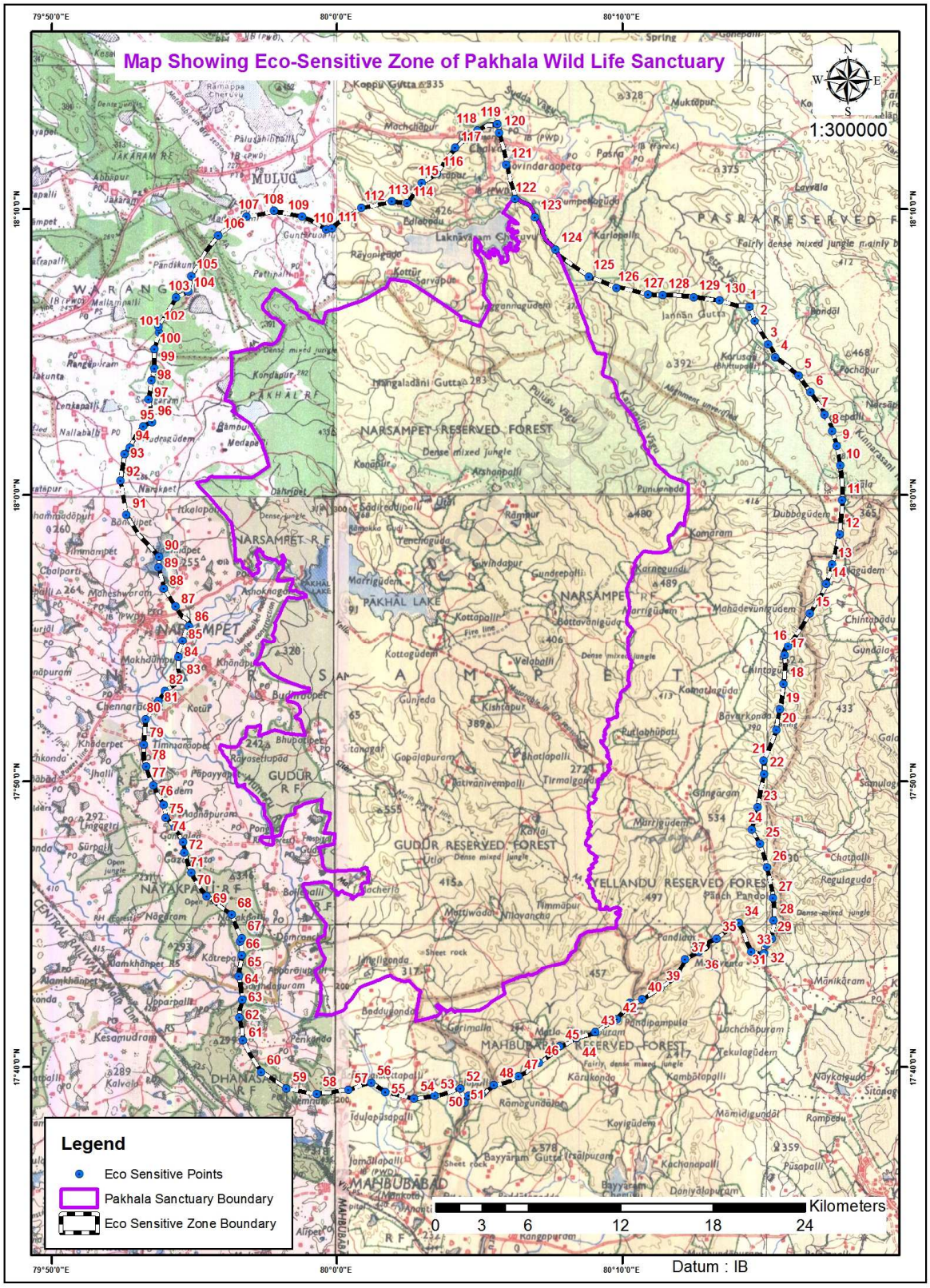
IndiaCode

			61.	Marrimitta
			62.	Chandragudem
			63.	Ponugodu
			64.	Gudur
			65.	Laxmigudem
			66.	Epur Gadda
			67.	Dubbagudem
			68.	Bollepally
			69.	Damaravancha
			70.	Jangu thanda
			71.	Govindapuram
			72.	Apparajpally
			73.	Gajulagattu
			74.	Laxmipuram
			75.	Boddugonda
			76.	Kollapuram
			77.	Mallannagudem
7.	Warangal	Kothaguda	78.	Putlabupathi
			79.	Kamaram
			80.	Ponugondla
			81.	Dubbagudem
			82.	Jangalpally
			83.	Gangaram
			84.	Mahadevunigudem
			85.	Chintagudem
			86.	Bavurgonda
			87.	Gangaram
			88.	Pandem
			89.	Ramarapadu
			90.	Manidigudem
			91.	Gurijalamottu
8.	Warangal	Tadvai	92.	Lingala
9.	Warangal	Chennaraopet	93.	Timmaraipet
			94.	Bocheruvu
			95.	Jillellagudem
			96.	Sandralagudem
			97.	Kommugudem
			98.	Laxmipuram
			99.	Jangiligonda
			100.	Kothur
10.	Warangal	Kesamudram	101.	Narsimhulagudem
			102.	Penukonda
			103.	Beriwada
			104.	Teegalaveni

IndiaCode

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Pakhal Wildlife Sanctuary along with latitudes – longitudes of prominent locations



Annexure III

ID	Longitude	latitude	ID	Longitude	latitude	ID	Longitude	Latitude
1	80.24124	18.10985	32	80.24989	17.73318	75	79.89900	17.81950
2	80.24424	18.10102	33	80.24213	17.73424	76	79.89264	17.83079
3	80.25219	18.08743	34	80.23489	17.75083	77	79.88858	17.84165
4	80.25625	18.08002	35	80.22200	17.74183	78	79.88858	17.84165
5	80.26984	18.06925	36	80.21177	17.73407	79	79.88717	17.85453
6	80.27672	18.05963	49	80.08451	17.65049	80	79.88841	17.86901
7	80.28519	18.04675	50	80.07709	17.64978	81	79.89582	17.87968
8	80.28961	18.03704	51	80.07462	17.64590	82	79.89970	17.88551
9	80.29208	18.02830	52	80.07233	17.65402	83	79.90888	17.89222
10	80.29420	18.01701	53	80.05715	17.64978	84	79.90747	17.90545
11	80.29525	17.99680	54	80.04532	17.64820	85	79.90976	17.91507
12	80.29384	17.97703	55	80.02838	17.65190	86	79.91347	17.92372
13	80.28943	17.95946	56	80.02008	17.65746	87	79.90571	17.93520
14	80.28590	17.94817	57	80.00684	17.65323	88	79.89900	17.94543
15	80.27637	17.93114	58	79.98831	17.65093	89	79.89582	17.95788
16	80.26366	17.91154	59	79.97066	17.65393	90	79.89600	17.96405
17	80.26172	17.90651	60	79.95583	17.66364	91	79.87711	17.98832
18	80.26119	17.88957	61	79.94524	17.68217	92	79.87340	18.00809
19	80.25889	17.87492	62	79.94312	17.69532	93	79.87588	18.02380
20	80.25695	17.86309	63	79.94489	17.70574	94	79.87888	18.02760
21	80.24936	17.84527	64	79.94277	17.71950	95	79.88682	18.03978
22	80.24972	17.83732	65	79.94454	17.73212	96	79.89194	18.04225
23	80.24601	17.81808	66	79.94348	17.73989	97	79.89000	18.05548
24	80.24248	17.80511	67	79.94436	17.74219	98	79.89158	18.06634
25	80.24742	17.79681	68	79.93854	17.75560	99	79.89353	18.07340
26	80.25148	17.78314	69	79.92406	17.76646	100	79.89335	18.08470
27	80.25483	17.76522	70	79.91488	17.78005	101	79.89617	18.09440
28	80.25536	17.75225	71	79.91082	17.79170	102	79.89582	18.09767
29	80.25413	17.74183	72	79.91012	17.79779	103	79.90623	18.11514
30	80.25148	17.74148	73	79.90553	17.80626	104	79.91312	18.11867
31	80.25095	17.73830	74	79.90006	17.81191	105	79.91488	18.12750

ID	Longitude	Latitude
106	79.93077	18.15124
107	79.94736	18.16218
108	79.96342	18.16536
109	79.97984	18.16201
110	79.99378	18.15442
111	79.99714	18.15512
112	80.01443	18.16730
113	80.03208	18.17092
114	80.04109	18.16986
115	80.04956	18.18169
116	80.05856	18.18716
117	80.06933	18.20207
118	80.08221	18.21213

119	80.09386	18.21602
120	80.09492	18.21090
121	80.09898	18.19219
122	80.10427	18.17224
123	80.11275	18.15953
124	80.12546	18.14197
125	80.14734	18.12732
126	80.16323	18.12062
127	80.18176	18.11673
128	80.19059	18.11638
129	80.20859	18.11532
130	80.22359	18.11355

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee :

1. Number and data of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main not worthy points: Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notifications, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986: (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.12.05 15:03:51 +05'30'